सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 2016/36 दायर दिनांक 14.03.2016

वादी		प्रतिवादीगण
1. इन्द्रचन्द पुत्र सोहनलाल 2. राजेश पुत्र सोहनलाल 3. नन्दकिशोर पुत्र सोहनलाल 4. नर्बदा पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सिरदाराराम पुत्र गौरूराम 2. प्रभुराम पुत्र सिरदाराराम समस्त जाति बावरी निवासी बिंचावा 3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :– पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 31.05.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमियों के खसरा सं0 170 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा बारानी प्रथम व खसरा सं0 172 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 174 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बिंचावा में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज के वंशज है। वंशावली वाद के साथ पेश है। उपरोक्त खसरान की भूमियां प्रतिवादी सं0 01 सिरदाराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। सिरदाराराम के दो पुत्र सोहनलाल व प्रभूराम हुए। वादीगण 01 ता 03 सोहनलाल के पुत्रगण व वादिया सं0 04 पत्नी है। सिरदाराराम के पुत्र सोहनलाल की मृत्यू दिनांक 26.07.2013 को हो चुकी है। वादीगण के पास जीवन यापन करने का एक मात्र साधन कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 01 व 02 उक्त कृषि भूमि को बेचान करने पर आमदा है। पूर्व में प्रतिवादी सं0 01 सिरदाराराम 10 बीघा भूमि का बेचान कर चुका है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि में से अपने हक हिस्से की 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बिंचावा में पेश हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 उपस्थित हुए। मजमें आम में पक्षकारान से समझाईस की गई। पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार खसरा सं0 170 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 172 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 174 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद ग्राम बिंचावा में से 1/3 हिस्सा वादिनी नर्बदा पत्नी सोहनराम का, 1/3 हिस्सा सिरदाराराम व उनकी पत्नी देवली का तथा 1/3 हिस्सा प्रभुराम पुत्र सिरदाराराम का रखा जावें। सिरदाराराम के फौत होने पर उनकी जमीन नर्बदा व प्रभुराम के मध्य 1/2, 1/2 रहेगी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2016 / 36
दायर दिनांक 14.03.2016, निणर्य दिनांक 31.05.2017
इन्द्रचन्द बनाम सिरदाराराम, वगैरा।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। मजमें आम में पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वादीनी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद बिंचावा के खसरा सं0 170 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 172 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 174 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा वादिनी नर्बदा पत्नी सोहनराम के बंट व हिस्से की, 1/3 हिस्सा सिरदाराराम के बंट व हिस्से में तथा 1/3 हिस्सा प्रभुराम पुत्र सिरदाराराम के बंट व हिस्से में घोषित कर पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। सिरदाराराम व उनकी पत्नी देवली के स्वर्गवास के पश्चात उनकी जमीन नर्बदा व प्रभुराम के मध्य 1/2, 1/2 रहेगी। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **31.05.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बिंचावा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/36**

दायर दिनांक **14.03.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. इन्द्रचन्द पुत्र सोहनलाल 2. राजेश पुत्र सोहनलाल 3. नन्दकिशोर पुत्र सोहनलाल 4. नर्बदा पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासीगण बिंचावा तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. सिरदाराराम पुत्र गौरूराम 2. प्रीभुराम पुत्र सिरदाराराम समस्त जाति बावरी निवासी बिंचावा 3. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 31.05.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादीपक्ष व प्रतिवादी पक्ष की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बिंचावा के खसरा सं0 170 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 172 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 174 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा सं0 03 कुल रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा वादिनी नर्बदा पत्नी सोहनराम के बंट व हिस्से की, 1/3 हिस्सा सिरदाराराम के बंट व हिस्से में तथा 1/3 हिस्सा प्रभुराम पुत्र सिरदाराराम के बंट व हिस्से में घोषित कर पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **31.05.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट बिंचावा में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner